लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम *2012*

अधिनियम की संक्षिप्त जानकारी –

भारत सरकार द्वारा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 लागू किया गया है । यह अधिनियम 14 नवम्बर 2012 से प्रभावशील है ।

भारत सरकार द्वारा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 लागू किया गया है। यह अधिनियम 14 नवम्बर 2012 से प्रभावशील है। बच्चों को यौन शोषण से बचाना तथा इसके प्रति जनजागरूकता पैदा करना इस कानून का उद्देश्य है । इस कानून के तहत पीड़ित बच्चे की पहचान प्रकट करना अपराध माना गया हैं। इस अधिनियम को पॉक्सो एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। यह कानून बालक और बालिकाओं पर समान रूप से लागू है, अर्थात बालक या बालिका किसी के भी साथ लैंगिक शोषण होने पर यह कानून लागू होगा किन्तु किसी अवयस्क बच्चे द्वारा विधि का उल्लंघन करने पर उसे किशोर न्याय अधिनियम के तहत विचारण में लिया जायेगा । अधिनियम अंतर्गत 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को बालक माना गया है ।

अधिनियम अंतर्गत आयोग की शक्तियाँ – इस अधिनियम की धारा 44 के अन्तर्गत इस कानून के क्रियान्वयन के अनुश्रवण का दायित्व बाल अधिकार संरक्षण आयोगों को सौंपा गया है । इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध से संबंधित किसी मामले की जॉच करते समय आयोग को वही शक्तियॉ प्राप्त होंगी जो बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के तहत् प्राप्त है ।

बालकों के विरूद्ध लैंगिक अपराध – बच्चों के प्रति यौन हिंसा को लैंगिक अपराध की श्रेणी में माना जाता है। यह हिंसा कई प्रकार की होती है।

कानून के तहत अपराध–

01. बच्चों का यौन शोषण करना या करवाना ।
02. यौन शोषण का प्रयास करना या करवाना ।
03. अश्लील साहित्य हेतु बच्चों का उपयोग करना या करवाना ।

यह अपराध और अधिक गुरूतर माना गया है जब :–

- यह अपराध बच्चों के संरक्षण (जैसे उनकी देखभाल करने वाली संस्था का कोई भी व्यक्ति, शिक्षक, लोक सेवक, पुलिस बल या शैक्षणिक संस्था के व्यक्ति) द्वारा किया जाता है ।
- ऐसी घटनाओं को छुपाना या सूचना न देना भी अपराध माना जाता है ।

दंड –

- इस अधिनियम के तहत दोषी पाए जाने पर कठोर सजा का प्रावधान है जिसमें आजीवन कारावास तक का दण्ड हो सकता है।
- ऐसी घटना को छुपाने की सूचना न देने पर 6 माह से 1 वर्ष तक की कैद का प्रावधान है ।
- **मामले की रिपोर्ट करने या अभिलिखित करने में विफल रहने के लिए दंड**–कोई व्यक्ति जो धारा 19 एवं 20 के अधीन किसी अपराध की रिपोर्ट करने या अभिलिखित करने में विफल रहता है तो वह 06 मास तक के कारावास या जुर्माने से या दोनों से दण्डित किया जा सकेगा । यह उपबंध किसी बालक पर लागू नहीं होगा । किसी कम्पनी या किसी संस्था का भारसाधक व्यक्ति अपने नियंत्रणाधीन किसी अधीनस्थ के संबंध में यदि अपराध की रिपोर्ट करने में विफल रहता है तो वह 01 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दण्डित किया जा सकेगा।
- कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के अंतर्गत किसी व्यक्ति या बालक को अपमानित करने के लिए मिथ्या सूचना या शिकायत करता है उसे 06 मास तक का कारावास या जुर्माने से या दोनों रूप में दण्डनीय होगा।

- जब कोई बालक इस अधिनियम के अंतर्गत मिथ्या सूचना या शिकायत करता है ऐसे बालक पर कोई दण्ड अधिरोपित नहीं होगा ।

प्रकरण पर कार्यवाही करने के लिए प्रक्रिया –

- सर्वप्रथम सूचना विशेष पुलिस इकाई या स्थानीय पुलिस थाने को दी जानी चाहिए।
- पुलिस द्वारा इस सूचना को लेखबद्ध किया जाएगा। सूचना देने वाले को सूचना पढ़कर सुनाई जाएगी तथा पुलिस यूनिट द्वारा रखी जाने वाली पुस्तिका में प्रविष्टि की जावेगी।
- विशेष पुलिस इकाई या स्थानीय पुलिस को यह ज्ञात होता है कि वह बालक जिसके विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया है उसकी देख–रेख व संरक्षण की आवश्यकता है तब वह कारणों को लेखबद्ध करने के पश्चात उसे यथाविहित रिपोर्ट के 24 घण्टे के भीतर तुरन्त ऐसी देख–रेख और संरक्षण में रखने के लिए (जिसके अंतर्गत बालक को संरक्षण गृह या निकटतम अस्पताल में भर्ती किया जाना भी है) व्यवस्था की जावेगी।
- विशेष किशोर पुलिस इकाई या स्थानीय पुलिस अनावश्यक विलम्ब किए बिना 24 घण्टे के अवधि के भीतर मामले को बाल कल्याण समिति या विशेष न्यायालयों को रिपोर्ट करेगी जिसके अंतर्गत बालक की देखभाल और संरक्षण के लिए आवश्यकता और इस संबंध में किए गए उपाय भी है।
- **मामले को रिपोर्ट करने के लिये मीडिया, स्टूडियो और फोटो चित्रण सुविधाओं की बाध्यता –** मीडिया या होटल या लॉज या अस्पताल या क्लब या स्टूडियो या फोटो चित्रण संबंधी सुविधाओं का कोई कार्मिक, किसी बालक के लैंगिक शोषण से संबंधित सामग्री या वस्तु के किसी माध्यम के उपयोग संबंधी जानकारी विशेष किशोर पुलिस इकाई या स्थानीय पुलिस को उपलब्ध कराएगा ।
- बालक के कथन को अभिलिखित करते समय पुलिस अधिकारी वर्दी में नहीं होगा ।
- प्रकरण की जॉच करते समय पुलिस अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी समय अभियुक्त के किसी भी प्रकार के संपर्क में ना आए ।
- किसी भी बालक को किसी भी कारण से रात्रि में किसी पुलिस स्टेशन में निरूद्ध नही किया जाएगा ।
- पुलिस अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि बालक की पहचान पब्लिक मीडिया से संरक्षित है। जब तक के बालक के हित में विशेष न्यायालय द्वारा निर्देशित न किया गया हो ।
- मजिस्ट्रेट द्वारा बालक के कथन का अभिलेखन उसके बोले गए कथन अनुसार करेगा। यथा स्थिति मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी बच्चे के माता–पिता या कोई ऐसे व्यक्ति जिसमें बालक का भरोसा है, उपस्थिति में बालक द्वारा बोले गए अनुसार कथन अभिलिखित करेगा। यथा स्थिति मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी द्वारा बालक का कथन अभिलिखित करते समय अनुवादक या किसी दुभाषिये जो ऐसी योग्यता रखता हो, फीस के संदाय पर सहायता ले सकता है। यथा स्थिति मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी द्वारा बालक का कथन अभिलिखित करने के लिए मानसिक या शारीरिक निःशक्तता वाले बच्चे के मामलें मे किसी विशेष शिक्षक या बालक से संपर्क की रीति से सुपरिचित किसी व्यक्ति या उस क्षेत्र में किसी विशेषज्ञ जो ऐसी योग्यता रखता हो, फीस के संदाय पर सहायता ले सकता है । साथ ही बालक का कथन श्रव्यदृश्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से भी अभिलिखित किया जाए ।

- मजिस्ट्रेट बालक और उसके अभिभावकों या प्रतिनिधि को विर्निदिष्ट दस्तावेज की एक प्रति पुलिस द्वारा अंतिम रिपोर्ट फाईल किए जाने पर प्रदान करेगा ।
- इस अधिनियम अंतर्गत अधिनियम के अधीन कोई अपराध हुआ हो पीड़ित बालक की चिकित्सकीय परीक्षा की जाएगी । यदि पीड़ित कोई बालिका है तो चिकित्सकीय परीक्षा किसी महिला डॉक्टर द्वारा की जाएगी । इस परीक्षण के समय बालक के माता–पिता या किसी अन्य व्यक्ति की उपस्थिति में की जाएगी जिस पर बालक का भरोसा है ।

- इस अधिनियम अंतर्गत मामलों के त्वरित विचारण हेतु प्रत्येक जिला में सेशन न्यायालय को जो एक विशेष न्यायालय होगा पदाभिहित करेगी तथा राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबंधो के अधीन प्रत्येक न्यायालय में एक विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति करेगी ।
  - विशेष न्यायालय मामलों का विचारण बंद कमरे में और बालक के माता–पिता या किसी अन्य व्यक्ति की उपस्थिति में करेगा जिसमें बालक का विश्वास है ।
  - इस अधिनियम अंतर्गत बालक का परिवार या संरक्षक के लिए अपनी पंसद की विधिक कॉउन्सलर की सहायता लेने का अधिकार होगा । यदि परिवार ऐसा व्यय उठाने में असमर्थ है तो विधिक सहायता उपलब्ध करायी जायेगी ।
  - किसी मीडिया से कोई रिपोर्ट, बालक की पहचान जिसके अंतर्गत उसका नाम, पता, फोटोचित्र, परिवार के ब्यौरे, विद्यालय, पड़ोस या किन्हीं अन्य जानकारियों को प्रकट नहीं की जायेगी जिससे बालक की पहचान प्रकट होती हो ।

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा–6 के अनुसार अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए आयोग निम्नलिखित कार्य करेगा :–

(क) राज्य सरकारों द्वारा विशेष न्यायालयों के पदभिधान का मॉनीटर करना ;

(ख) राज्य सरकारों द्वारा लोक अभियोजकों की नियुक्ति का मॉनीटर करना ;

(ग) राज्य सरकारों द्वारा, बालक की विचारण पूर्व और विचारण के स्तर पर सहायता से सहबद्ध गैर सरकारी संगठनों, व्यवसायियों और विशेषज्ञों या मनोविज्ञान, सामाजिक कार्य, शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और बालक विकास का ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों के उपयोग के लिए अधिनियम की धारा 39 में वर्णित मार्गदर्शी निर्देश बनाने का मॉनीटर करना और इन मार्गदर्शी निर्देश को लागू करने का मॉनीटर करना ;

(घ) इस अधिनियम के अधीन अपने कार्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए प्रशिक्षण पुलिस कार्मिकों और अन्य संबंधित व्यक्तियों, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय और राज्य सरकारों के अधिकारी भी है, के लिए निश्चायिका के डिजाइन और कार्यान्वयन को मॉनीटर करना ;

(ड.) मीडिया, जिसके अंतर्गत टेलीविजन, रेडियो और प्रिंट मीडिया भी है, के माध्यम से नियमित अंतरालों पर अधिनियम के उपबंधों से संबंधित सूचनाओं के प्रसार के लिए केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों को मॉनीटर करना ओर उसकी सहायता करना जिससे अधिनियम के उपबंधों के प्रति जनसाधारण, बालकों के साथ ही साथ उनके माता–पिता और संरक्षकों को जागरूक किया जा सके।

(2) यथास्थिति, एनसीपीसीआर या एससीपीसीआर किसी सीडब्ल्यूसी की अधिकारिता के भीतर आने वाले बालक लैंगिक दुरूपयोग के किसी भी विनिर्दिष्ट मामले पर रिपोर्ट मॉग सकेंगे।

(3) यथास्थिति, एनसीपीसीआर या एससीपीसीआर स्वप्रेरण से या सुसंगत अभिकरणों से लैंगिक दुरूपयोग के रिपोर्ट किए गए मामले और अधिनियम के अधीन स्थापित प्रक्रिया के अधीन उनके निपटारे की बाबत् सूचना और आंकड़े एकत्रित कर सकेंगे जिसके अंतर्गत निम्नलिखित सूचना भी है :–

– अधिनियम के अधीन रिपोर्ट किए गए अपराधों की संख्या और ब्यौरे ;

– क्या अधिनियम और नियमों के अधीन विहित प्रक्रियाओं का अनुसरण किया गया है जिसके अंतर्गत समयसीमा से संबंधित प्रक्रिया भी है ;

– अधिनियम के अधीन अपराधों के पीड़ितों की देखरेख और संरक्षण के लिए व्यवस्था के व्यौरे जिसके अंतर्गत आपात चिकित्सा देखरेख और चिकित्सा परीक्षा की व्यवस्था भी है; और

– संबंधित सीडब्ल्यूसी द्वारा किसी भी विनिर्दिष्ट मामले में किसी बालक की देखरेख और संरक्षण के लिए आवश्यकता के निर्धारण की बाबत् ब्यौरे ।

(4) यथास्थिति, एनसीपीसीआर या एससीपीसीआर इस प्रकार एकत्रित सूचना का प्रयोग अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन को निर्धारित करने के लिए कर सकेगी। अधिनियम के मॉनीटर पर रिपोर्ट को एससीपीसीआर की वार्षिक रिपोर्ट में एक अलग अध्याय में सम्मिलित किया जाएगा।